संख्या:95/2019/3916जेएल/22-3-19-100(94)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2019***

विषय: जिला कारागार मऊ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20993/सामा-1(3)/मऊ/2019, दिनांक 11-10-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार मऊ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	अजीत यादव पुत्र श्री चन्द्रिका यादव	जि0का0 मऊ	जि0का0 बलरामपुर
2	घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री गुल्लू	जि0का0 मऊ	जि0का0 सिद्धार्थनगर
3	हरीश पासवान पुत्र श्री इन्द्रदेव पासवान	जि0का0 मऊ	जि0का0 कानपुर देहात

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:95/2019/3916जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/कानपुर देहात।
4. पुलिस अधीक्षक, मऊ/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/कानपुर देहात।
5. अधीक्षक, जिला कारागार मऊ/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/कानपुर देहात।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in